



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13052026-272494
CG-MH-E-13052026-272494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 318]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 11 मई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20A के अंतर्गत अधिसूचना

सा.का.नि. 352(अ).—केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई उपनगरीय जिले में मुंबई शहर परिवहन परियोजना - III A के अंतर्गत बोरीवली - विरार स्थानकों के दरम्यान पांचवीं और छठी रेलवे लाइन, की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप उप जिलाधिकारी (भूमि अधिग्रहण), नंबर 7, मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिला, प्रतापगढ़ सहकारी आवास सोसायटी, विनायक अपार्टमेंट, हाफकिन इंस्टीट्यूट के सामने, पहली मंजिल, परेल गांव, मुंबई-400012, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णीत करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को

व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III A के अंतर्गत बोरीवली - विरार स्थानकों के दरम्यान पांचवीं और छठी रेलवे लाइन की विशेष रेल परियोजना हेतु तालुका बोरीवली, मुंबई उपनगरीय जिला में अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

अनुसूची अ

गाँव – दहिसर, तहसील बोरीवली, जिला मुंबई उपनगर

क्रम. सं.	जिला	तहसील का नाम	गाँव का नाम	गट संख्या (सर्वे संख्या)	अर्जित की जाने वाला क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	मुंबई उपनगर	बोरीवली	दहिसर	455 में से	30.10
				454 में से	29.20
				454/1 में से	28.80
				पता नहीं	300.00
				पता नहीं	60.00
				448 में से	49.10
				448/1 में से	10.20
				448/2 में से	26.10
				447/4 में से	20.10
				447/5 में से	07.50
				447/7 में से	17.00
				447 में से	100.00
				ऊपर दिए गए गट नंबर के पास की जगह	846.90
				कुल	1525.00

[फा. सं. इ- 25840 - 35]

मुकेश कुमार, मुख्य इंजीनियर (निर्माण) - I

MINISTRY OF RAILWAYS

(Western Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th May, 2026

Notification under Section 20A of the Railways Act, 1989

G.S.R. 352(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) and the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act). The Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, 5th & 6th

line between Borivali -Virar on Western Railway, under MUTP IIIA in District Mumbai Suburban in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely Deputy Collector (Land Acquisition) No. 7, Mumbai and Mumbai Suburban District, Pratapgad Co-operative Housing Society, Vinayak Apartment, Opposite Haffkin Institute, 1st Floor, Parel Village, Mumbai- 400012, Maharashtra, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, 5th & 6th line between Borivali -Virar on Western Railway, under MUTP IIIA projects in Borivali Taluka, District Mumbai Suburban in the State of MAHARASHTRA.

Schedule A

Village – Dahisar, Taluka- Borivali, District-Mumbai Suburban

Sr. No.	District	Taluka	Village	City Survey No.	Area of Land to be Acquired in Sq. M.
1	Mumbai Suburban	Borivali	Dahisar	455	30.10
				454	29.20
				454/1	28.80
				Unknown	300.00
				Unknown	60.00
				448	49.10
				448/1	10.20
				448/2	26.10
				447/4	20.10
				447/5	07.50
				447/7	17.00
				447	100.00
				The land adjacent to the above-mentioned Survey Number	
Total				1525.00	

[F. No. E-25840- 35]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (Construction) – I